**भारत सरकार**

**आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 1973**

**30 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**वर्षा जल निकासी के लिए मास्टर प्लान**

**†1973. एडवोकेट प्रिया सरोजः श्री पुष्पेंद्र सरोजः**

क्या **आवासन और शहरी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अपर्याप्त वर्षा जल निकासी व्यवस्था के कारण शहरी बाढ़ के दृष्टिकोण से संवेदनशील चिन्हित शहरों का राज्य-वार तथा विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2021 से अब तक जिन शहरी स्थानीय निकायों में वर्षा जल निकासी का मास्टर प्लान तैयार अथवा अद्यतन किया गया है, उनका राज्य-वार तथा विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) जलवायु-अनुकूल शहरी अवसंरचना तथा बाढ़ शमन के लिए प्रदान की गई केंद्रीय तकनीकी सहायता का राज्य-वार तथा विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) जिन शहरों में एकीकृत जल निकासी परियोजनाएं तैयार की जा रही हैं अथवा कार्यान्वित की जा रही हैं, उनका राज्य-वार और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केंद्रीय कार्यक्रमों के अंतर्गत शहरी बाढ़ से निपटने की क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

**उत्तर**

**आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री**

**(श्री तोखन साहू)**

(क) से (ङ) शहरी बाढ़ का प्रबंधन राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरी विकास प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में आता है, जो जल निकासी और सीवरेज प्रणाली के रखरखाव के लिए उत्तरदायी हैं। भारत सरकार योजनाबद्ध हस्तक्षेपों/परामार्शिकाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। यह शहरी नियोजन पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। अपर्याप्त वर्षा जल निकासी के कारण शहरी बाढ़ की चपेट में आने वाले शहरों से संबंधित आंकडे केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) ने शहरी जल निकासी और बाढ़ प्रबंधन में सुधार हेतु निम्नलिखित दस्तावेज/परामर्शिका दिशानिर्देश प्रकाशित किए हैं:

(i) शहरी और क्षेत्रीय विकास योजना तैयार करना और कार्यान्वयन (यूआरडीपीएफआई) दिशानिर्देश, 2014

(https://www.mohua.gov.in/static/uploads/2025/10/1813403503fbec280e7648c0ae692512.pdf) और (https://www.mohua.gov.in/static/uploads/2025/10/dd392b7781e668614ae0446cfd114bc6.pdf)

(ii) शहरी बाढ़ प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) (https://www.mohua.gov.in/static/uploads/2025/11/580e35ec9fae474aaa96bec087e76553.pdf)

(iii) 2021 में नदी केंद्रित शहरी नियोजन दिशानिर्देश शहरों को प्रकृति-आधारित समाधान सहित संयुक्त जल प्रबंधन दृष्टिकोण के विकास में सक्षम बनाने के लिए

(https://www.mohua.gov.in/static/uploads/2025/10/eb2bdfc0d54766fbbc52e56fe77ca687.pdf)

(iv) वर्षा जल संचयन पार्कों के सृजन के संबंध में मार्ग-दर्शी दस्तावेज (https://www.mohua.gov.in/static/uploads/2025/10/b0b5705fe04d5c0c9c33187aeef85823.pdf)

(v) स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम संबंधी मैनुअल (https://www.mohua.gov.in/static/uploads/2025/10/8a2456c722036d78c72a698898ef846d.pdf)

मंत्रालय ने अमृत शहरों के लिए जीआईएस आधारित मास्टर प्लान तैयार करने के लिए 'डिजाइन और मानक' भी प्रकाशित किए हैं, जो श्रेणी-II शहरों/नगरों पर भी लागू है, जो अन्य बातों के साथ-साथ यूएलबी द्वारा तूफानी वर्षा जल निकासी सहित यूटिलिटी लेयर्स की मैपिंग का प्रावधान करता है।

भारत सरकार ने वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 और 2025-26 में पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना (एसएसएएससीआई) लागू की, जिसमें शहरी नियोजन सुधार एक भाग था। इस योजना का उद्देश्य विकास के एक प्रमुख वाहक के रूप में शहरी नियोजन का लाभ उठाना है। यह पहल स्पंज शहरों के निर्माण सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित थी। एसएसएएससीआई 2025-26 के तहत राज्यों द्वारा किए गए दावे के अनुसार, 13 राज्यों के 21 शहरों ने तूफानी वर्षा जल निकासी प्लान तैयार किया है। शहरों का राज्य-वार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है। उत्तर प्रदेश ने इस सुधार का दावा नहीं किया है।

अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) और अमृत 2.0 के तहत, राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों को स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज से संबंधित परियोजनाओं के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है, जिनमें बाढ़ की समस्या को कम करने और समाप्त करने के लिए नालों/वर्षा जल निकासी नालियों का निर्माण और सुधार करना, हरित क्षेत्रों और पार्कों का निर्माण तथा जलाशयों के पुनरुद्धार से संबंधित परियोजनाएँ शामिल हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस मिशन दिशानिर्देशों के व्यापक फ्रेमवर्क के अंतर्गत परियोजनाओं का चयन, मूल्यांकन, प्राथमिकता निर्धारण और कार्यान्वयन करने की शक्तियाँ प्राप्त हैं।

अमृत के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा 3022.39 करोड़ रुपये की 838 तूफानी वर्षा जल निकासी परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इसके अलावा, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने अमृत के तहत 1,604.13 करोड़ रुपये की लागत वाले 2,522 हरित स्थान और पार्क परियोजनाएं शुरू की हैं, जिसके परिणामस्वरूप इन परियोजनाओं के माध्यम से 5,400 एकड़ पारगम्य हरित क्षेत्र का विकास हुआ है।

अमृत 2.0 के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा हरित स्थानों और पार्कों और जलाशय पुनरुद्धार हेतु परियोजनाएं शुरू की गई हैं। अमृत 2.0 के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 1.21 लाख एकड़ क्षेत्र को कवर करने वाली 6,003.34 करोड़ रु. की लागत वाली 2,951 जलाशय

पुनरुद्धार परियोजनाओं और लगभग 12,750 एकड़ क्षेत्र को कवर करने वाली 1,087.12 करोड़ रु. की लागत वाली 1,649 हरित क्षेत्र और पार्क परियोजनाओं के प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है।

इसके अलावा, अमृत और अमृत 2.0 के तहत सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जो अन्य बातों के साथ-साथ तूफानी वर्षा जल निकासी में सहायता प्रदान करती हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अमृत पोर्टल पर अद्यतित जानकारी के अनुसार, अमृत के तहत 888 सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाएं शुरू की गई है, जिससे लगभग 22,539 किलोमीटर लंबाई का सीवर नेटवर्क तैयार हुआ है। अमृत 2.0 के तहत, राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों ने 605 सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाएं शुरू की हैं जिनमें 40,021 किलोमीटर सीवर नेटवर्क बिछाना शामिल है।

उत्तर प्रदेश में परियोजनाओं सहित अमृत और अमृत 2.0 के तहत परियोजनाओं का राज्य-वार और यूएलबी-वार विवरण https://amrut.mohua.gov.in/approvedProjects/state वेबसाइट पर उपलब्ध है।

उपर्युक्त के अलावा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम (UFRMP) के कार्यान्वयन के लिए नोडल प्राधिकरण है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर, वर्ष 2021-26 की अवधि के लिए 7 सर्वाधिक बाढ़-प्रवण महानगरों में शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम (UFRMP) के लिए राष्ट्रीय आपदा शमन निधि (NDMF) के तहत 2,500 करोड़ रु. की राशि निर्धारित की गई है। यह कार्यक्रम चरण-II तक विस्तारित है, जिसके लिए कुल 2,444.42 करोड़ रु. की राशि आवंटित की गई है। इस कार्यक्रम का चरण-II (टियर-II शहर) ग्यारह अतिरिक्त शहरों तक विस्तारित है, जिनमें उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ और कानपुर शामिल हैं।

**"वर्षा जल निकासी मास्टर प्लान" के संबंध में 30 जुलाई, 2026 को लोकसभा में उत्तर दिए जाने के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या 1973 के भाग (क) से (ड़) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक**

**एसएसएसीआई 2025-26: स्पंज शहरों का निर्माण - स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज प्लान की तैयारी**

| क्रम संख्या | राज्य | शहर |
|---|---|---|
| 1 | पंजाब | लुधियाना |
| 2 | | अमृतसर |
| 3 | | जालंधर |
| 4 | ओडिशा | भुवनेश्वर |
| 5 | केरल | तिरुवनंतपुरम |
| 6 | असम | गुवाहाटी |
| 7 | गुजरात | अहमदाबाद |
| 8 | | राजकोट |
| 9 | कर्नाटक | हुबली धारवाड़ |
| 10 | | बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका |
| 11 | मध्य प्रदेश | भोपाल |
| 12 | | इंदौर |
| 13 | छत्तीसगढ़ | रायपुर |
| 14 | तमिलनाडु | चेन्नई |
| 15 | | कोयंबटूर |
| 16 | आंध्र प्रदेश | विशाखापत्तनम |
| 17 | | विजयवाड़ा |
| 18 | तेलंगाना | ग्रेटर हैदराबाद |
| 19 | | कुडा वारंगल |
| 20 | राजस्थान | जयपुर |
| 21 | गोवा | पणजी |

*****